2026:CGHC:17086

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक–493/2026

1. नेहरूलाल सेन पिता–दिलेश्वर सेन, उम्र–लगभग 45 वर्ष, निवासी–क्वार्टर संख्या–300/1, डब्ल्यू.आर.एस. कॉलोनी, पुलिस थाना–खमतराई, रायपुर, तहसील व जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, वर्तमान निवासी–पानी टंकी के पास भाठागांव, रायपुर, तहसील व जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती ममता सेन पति–नेहरूलाल सेन, उम्र–लगभग 42 वर्ष, निवासी–द्वारा शेखर सेन, दुर्गा मंदिर के पास, श्री हॉस्पिटल के सामने गली, सेक्टर–01, श्री नगर, पुलिस थाना–खमतराई, तहसील व जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

–––––अनावेदक

आवेदक द्वारा	:	श्री शिवेन्दु पांड्या, अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा	:	सूचना प्रेषित नहीं ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! आदेश पीठ पर पारित !!

15/04/2026

1. प्रारंभिक स्तर पर तर्क श्रवण किए गए ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 सहपठित धारा–442 के तहत प्रस्तुत इस दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका में, अपीलीय न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी., रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक–327/2024 "नेहरूलाल सेन **विरूद्ध** श्रीमती ममता सेन" में पारित आदेश दिनांक–22/12/2025 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आवेदक/अभियुक्त नेहरूलाल सेन द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर दिया गया, जिसे आगे संक्षेप में "प्रश्नाधीन आदेश" से संबोधित किया जा रहा है ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमती ममता सेन का विवाह अभियुक्त नेहरूलाल सेन के साथ दिनांक 24/04/1999 को संपन्न हुआ था । वैवाहिक जीवन के दौरान उत्पन्न घरेलू विवादों के कारण अभियुक्त नेहरूलाल सेन द्वारा दिनांक 02/08/2022 को श्रीमती ममता सेन को घर से निकाल दिया गया । तत्पश्चात, श्रीमती ममता सेन ने दिनांक 06/02/2023 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपने पति नेहरूलाल सेन एवं उसके अन्य चार रिश्तेदारों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । इसके पश्चात नेहरूलाल सेन वगैरह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 22/08/2024 के द्वारा निरस्त कर दिया ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को अभियुक्त नेहरूलाल सेन के अतिरिक्त अन्य चार द्वारा पृथक से चुनौती दी गई थी । उक्त अपील में निर्णय करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा उनकी अपीलें स्वीकार कर उन्हें उन्मोचित कर दिया गया । किन्तु अभियुक्त

नेहरूलाल सेन द्वारा प्रस्तुत पृथक अपील क्रमांक 327/2024 में, अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 22/12/2025 को आदेश पारित कर उसकी अपील निरस्त कर दी ।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 के नियम 9 के अनुसार संरक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर जाकर आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त नेहरूलाल सेन के विरुद्ध प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है । उभयपक्ष के मध्य विवाह विच्छेद तथा भरण–पोषण से संबंधित अन्य प्रकरण, न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, साथ ही उनके मध्य एक सिविल वाद भी विचाराधीन है । इन परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध परिवाद विधि–सम्मत तथा विचारणीय नहीं है । अतः पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाए ।

6. समस्त का परिशीलन किया गया । परिशीलन से यह स्पष्ट है कि श्रीमती ममता सेन द्वारा धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत परिवाद अनुसार, वर्ष–2011 के पश्चात से दिनांक–02/08/2022 तक अपराध निरंतर चल रहा है और वर्ष–2023 में परिवाद पेश किया गया है । जिसमें धारा–17 के अनुसार पृथक निवास की व्यवस्था, धारा–18 के अनुसार सुरक्षा, धारा–20 के अनुसार स्थायी सम्पत्ति में हक व अधिकार, धारा–22 के तहत क्षतिपूर्ति आदि की प्रार्थना की गई है ।

7. "प्रश्नाधीन आदेश" के परिशीलन से यह भी स्पष्ट होता है कि संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास अधिकारी), रायपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन परिवादी के समर्थन में है । ऐसी स्थिति में, जांच/विचारण के पूर्व नेहरूलाल सेन का यह तर्क कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है अथवा नियमानुसार जांच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य नहीं पाया

जाता । इस पुनरीक्षण में उठाई गई आपत्तियां स्वयं जांच/विचारण का विषय हैं, जिनका परीक्षण अभी किया जाना है ।

8. इस प्रकार, अभिलेख में उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विचारण तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित "प्रश्नाधीन आदेश" में कोई अवैधता अथवा अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है । उसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं पाई जाती । अतः यह पुनरीक्षण प्रारंभिक स्तर पर **खारिज** की जाती है ।

9. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए ।

10. उपरोक्तानुसार, इस पुनरीक्षण आवेदन का निराकरण किया जाता है ।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन